छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

सोमवार, दिनांक 07 जनवरी, 2019

(पौष 17, शक सम्वत् 1940)

[अंक 02]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 07 जनवरी, 2019

(पौष 17 शक संवत् 1940)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ0चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, आपको बांयी तरफ से अभिवादन करना था, आप तो दांयी तरफ से शुरू कर दिए। हम लोग बांयी तरफ खड़े हैं। कृपया ख्याल रखियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- अब सदन माननीया राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा करेगा।

समय

11.10 बजे **(माननीया राज्यपाल महोदया का चल समारोह के साथ आगमन हुआ)**

<u>राष्ट्रगान</u>

(राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- अब माननीया राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें।

समय

11.11 बजे **<u>माननीया राज्यपाल का अभिभाषण</u>**

माननीया राज्यपाल (श्रीमती आनंदीबेन पटेल) :- माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ राज्य की पांचवी विधान सभा के प्रथम सत्र के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ। यह सुखद संयोग है कि विधान सभा चुनाव-2018 में नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य के रूप में, आपका कार्यकाल नववर्ष में प्रारंभ हो रहा है। आप में से कई सदस्य पूर्व में भी इस सदन में रहे हैं और बहुत से सदस्य प्रथम बार निर्वाचित होकर यहां पहुंचे हैं। इस प्रकार इस सदन में अनुभवी तथा नवागत सदस्यों का समागम हुआ है। सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करते हुए, जनभावनाओं और जनआकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना है। जनता के कल्याण और राज्य के विकास के लिए पूरी लगन, निष्ठा और

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समर्पण से कार्य करना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की आदर्श परम्पराओं और कीर्ति को आगे बढ़ाना है, इसके लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं।

2. पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था- 'आप दीवार के चित्रों को बदलकर इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते।' मेरी सरकार भारत की गरिमामय विरासत का सम्मान करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप जनहित के नए इतिहास रचेगी।

3. मेरी सरकार स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान सर्वोच्च त्याग करने वाले अमर शहीदों, वीर सपूतों, वीरांगना सुपुत्रियों के त्याग और बलिदान को याद रखने और मंगल पाण्डे, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर गैंद सिंह, वीर गुण्डाधूर, वीरनारायण सिंह और उनकी परम्परा के हजारों-हजार क्रान्तिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आजादी के बाद सात दशकों में देश और प्रदेश को विकास के अनेक शिखरों पर पहुंचाने और संसदीय लोकतन्त्र को मजबूत बनाने वाली छत्तीसगढ़ की विभूतियों के योगदान को आगे बढ़ाने के लिए भी मेरी सरकार संकल्पबद्ध है।

4. मेरी सरकार आजाद भारत के विकास की आधारशिला रखने वाली विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, सदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, लालबहादुर शास्त्री, डॉ. अबुल कलाम आजाद, बाब साहब भीमराव अम्बेडकर और उनकी परम्परा के महापुरूषों के आदर्शों पर चलेगी।

5. जनादेश का सम्मान करते हुए मेरी सरकार ने जनघोषणा-पत्र 2018 को आत्मसात किया है। मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से किए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए पहले दिन से ही निर्णय लेने की शुरूआत कर दी है।

.....जारी श्री अग्रवाल

अग्रवाल\07-01-2019\a11\11.05-11.10

जारी....माननीय राज्यपाल महोदया :-

6. नयी सरकार का गठन होते ही उसी दिन 17 दिसम्बर, 2018 को मंत्रि-परिषद की पहली बैठक में 16 लाख, 65 हजार से अधिक किसानों का 6 हजार 100 करोड़ से अधिक अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया । (मेजों की थपथपाहट) अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना-2018 के दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों का 30 नवम्बर, 2018 तक का अल्पकालीन ऋण माफ किया जाना है । ऋण माफी के निर्णय को अमलीजामा पहनाने के क्रम में पहले चरण में 10 दिनों के भीतर, लिंकिंग के तहत हुई धान खरीदी के एवज में 12सौ 48 करोड़ रूपए की राशि 3 लाख 57 हजार किसानों के खाते में जमा कर दी गई है । आगामी चरणों में शेष प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी । राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित अल्पकालीन कृषि ऋणों के परीक्षण उपरांत कार्यवाही शीघ्र की जाएगी ।

7. मेरी सरकार का मानना है कि किसानों की आर्थिक समृद्धि से ही ग्रामीण जन-जीवन में खुशहाली और विकास का रास्ता बनेगा । ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आने से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमेगा, इसलिए मंत्रि-परिषद की पहली बैठक में ही वर्ष 2018-19 में 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी का निर्णय भी लिया गया । धान की फसल छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है । धान छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परम्परा और अस्मिता से जुड़ा हुआ है । धान खरीदी दर में यह ऐतिहासिक वृद्धि, जो देश में आज धान खरीदी की सर्वाधिक दर है, अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि मेरी सरकार किसानों के हित में बड़े से बड़ा निर्णय लेने के लिए सदैव सहर्ष तैयार रहेगी ।

8. मेरी सरकार ने यह महसूस किया था कि वर्ष 2013 में घटित झीरम घाटी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण आदिवासी अंचलों में लोकतांत्रिक मूल्यों तथा कानून और व्यवस्था के प्रति आस्था को बड़ा धक्का लगा था । इस घटना में शहीद हुए नेताओं के परिवारों तथा जन सामान्य में इस बात को लेकर भी रोष था कि इतनी बड़ी घटना की समुचित जांच नहीं हो पाई है । इन परिस्थितियों को देखते हुए मेरी सरकार ने मंत्रि-परिषद की पहली बैठक में ही झीरम घाटी घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच एस.आई.टी. से कराने का निर्णय लिया है । (मेजों की थपथपाहट)

9. बस्तर के लोहाण्डीगुड़ा में एक दशक पहले टाटा इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए राज्य शासन द्वारा ग्रामीणों-किसानों की निजी भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें 10 गांवों (लोहण्डीगुड़ा तहसील के अंतर्गत छिंदइगांव, कुम्हली, धुरागांव, बेलियापाल, बडानजी, दाबपाल, बड़ेपरोद, बेलर, सिरीसगुड़ा तथा तोकापाल तहसील के अंतर्गत ग्राम ताकरागुड़) के 1700 से अधिक खातेदारों की 17 सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि शामिल थी । 10 साल बीत जाने पर भी टाटा द्वारा इस्पात संयंत्र लगाने में कोई रूचि नहीं ली गई, जिसके कारण ग्रामीणों और किसानों में निराशा उत्पन्न हो गई थी । मेरी सरकार ने इन ग्रामीणों-किसानों को उनकी भूमि लौटाने का फैसला किया है । मेरी सरकार ने बस्तर के जनजीवन में व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करने का जो संकल्प लिया है, उसमें भूमि लौटाने का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । (मेजों की थपथपाहट)

10. छोटे भूखण्डधारी, मध्यम तथा कमजोर तबकों के लोगों को उनके छोटे आकार के भूखण्ड की खरीदी-बिक्री को लेकर अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण वे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं से घिर गए थे । मेरी सरकार ने उनकी परेशानियों को गंभीरता से देखते हुए त्वरित कार्यवाही का निर्णय लिया और तत्काल राहत देने के लिए पांच डिसमिल से कम रकबे की खरीदी-बिक्री, नामांतरण-पंजीयन से रोक हटा दी है । (मेजों की थपथपाहट)

11. प्रदेश में अनेक गृहस्थ और छोटे निवेशक चिटफंड कम्पनियों के जाल में फंस गए थे, जिनमें राज्य के अनेक युवा भी हैं जो रोजगार के लिए चिटफंड कम्पनियों के कुचक्र में फंस गए । मेरी सरकार,

चिटफंड कम्पनियों के संचालकों तथा आर्थिक धोखाधड़ी में मुख्य भूमिका निभाने वाले महतवपूर्ण लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी तथा निवेशकों की राशि लौटाने के लिए भी यथोचित कार्यवाही करेगी ।

12. छत्तीसगढ़ की पारम्परिक पहचान इसके समृद्ध, आत्मनिर्भर और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, गौरवपूर्ण गांव एवं गांव आधारित संस्कृति, कला एवं शिल्प रहे हैं । छत्तीसगढ़ की प्रगति में केवल आधुनिक तकनीक ही नहीं, बल्कि परम्परागत कला, लोक ज्ञान एवं कौशल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए । मेरी सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ जनभागीदारीयुक्त समृद्ध गांव के सपने को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है ।

13. मेरी सरकार नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी से गांवों के समग्र विकास की अवधारणा पर काम करेगी । मेरी सरकार प्रत्येक नाले (नरवा) का क्रमबद्ध संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए गांवों में, गांवों के लिए वर्ष भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी । मनरेगा को इस अवधारणा से जोड़ने के सुसंगत कदम उठाए जाएंगे।

14. छत्तीसगढ़ में गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पशुधन की प्रचुर उपलब्धता है, जिनके सुचारू प्रबंधन, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आधारभूत संरचना निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है । इससे दुग्ध उत्पादन, नस्ल सुधार जैसे कदमों से आर्थिक एवं क्रमागत उन्नति होगी । मेरी सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में पशुधन के रख-रखाव के लिए विशिष्ट गौठान बनाने की पहल की जाएगी, जिसमें पशुओं के बैठने और संवर्धन एवं नस्ल सुधार की प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गाय के गोबर से खाद और गोबर गैस बनाने की योजना बनाई जाएगी । चरवाहा भाई-बहनों के सम्मान के लिए नई नीति बनाई जाएगी ।

15. छत्तीसगढ़ की कृषि भूमि में पोषक तत्वों की लगातार कमी न केवल चिन्ता का विषय है, बल्कि इसमें त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता है । गौवंश की प्रचुरता को जैविक खाद के लिए आवश्यक संसाधन की तरह चिन्हांकित करते हुए मेरी सरकार प्रत्येक गांव के घुरवा (कम्पोस्टपिट) को जैविक खाद की लघु उत्पादन इकाइयों में बदलेगी।

16. छत्तीसगढ़ में प्रत्येक किसान के पास छोटी-बड़ी बाड़ियाँ होती हैं । एक समय यह बाड़ियाँ कृषक परिवारों के लिए ताजी सब्जियों-भाजियों-फलों के द्वारा उनके भोजन में पोषक तत्वों का स्त्रोत थी साथ ही अतिरिक्त आमदनी का माध्यम भी थी। मेरी सरकार बाड़ियों को पुनजीर्वित करने की दिशा में समुचित कदम उठाएगी।

श्री श्रीवास

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

17. राज्य के वन संसाधन, खनिज संसाधन, जल संसाधन, मानव संसाधन, आदि का उपयोग राज्य के विकास तथा जनता के हित में करने के लिए मेरी सरकार सुसंगत उपाय करेगी ।

18. मेरी सरकार एक ओर यहां भिलाई स्टील प्लाण्ट जैसी विरासत पर गर्व करती है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक विकास और सामाजिक सरोकार की घनिष्ठता का रिश्ता बनाये रखने की पक्षधर है । राज्य में उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कौशल, स्थानीय आवश्यकताओं तथा व्यापक रोजगार की संभावनाओं को देखते हुये औद्यौगिक नीति में यथोचित संशोधन किये जायेंगे ।

19. छोटी पूंजी वाली इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा । कृषि तथा वनोपज के प्रसंस्करण के लिए ग्रामीण स्तर पर बड़ी संख्या में इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

20. इलेक्ट्रॉनिक एवं सॉफ्टवेयर कौशल से युवाओं को जोड़ने की दिशा में तेजीसे कदम उठाये जायेंगे ताकि नये जमाने की नई आवश्यकताओं के लिए राज्य की नई पीढ़ी तैयार रहे और इसे अपने स्वावलंबन का माध्यम बनायें ।

21. मेरी सरकार जन स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता देगी ताकि स्वस्थ मानव संसाधन को राज्य के विकास में सीधी भागीदारी दी जा सके । नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा जनता को उनके अधिकार की तरह प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा ।

22. खाद्य सुरक्षा का अधिकार, आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जल, जंगल, जमीन का अधिकार, केवल कानून की पुस्तकों में न रहे बल्कि जनसशक्तीकरण का माध्यम बने, इसके लिए समुचित कदम उठाये जायेंगे ।

23. मेरी सरकार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, के लोगों और उनकी बसाहटों में विशेष सुविधायें देकर उनके तेजी से विकास की पक्षधर है । इस संबंध में नये निर्णयों की शुरूआत कर दी गई है । तेंदूपत्ता संग्राहकों तथा विभिन्न लघु वनोपजों से स्थानीय समुदायों की आमदनी में वृद्धि के लिए नये कदम उठाये जा रहे हैं, जिसके तहत प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 रूपए से बढ़ाकर 4000 रूपए की जायेगी । लघु वनोपजों के लिए भी प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की जायेगी । हाथी तथा मानव द्वंद से होने वाली जनहानि की स्थिति में मुआवजा की राशि में वृद्धि की जायेगी । जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन हेतु हर संभव कदम उठाये जायेंगे ।

24. मेरी सरकार अधोसंरचना विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देगी । सड़क, रेल, विमानन, डिजिटल, टेलीकॉम कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरे राज्य को एकसूत्र में बांधा जाएगा । आवश्यकता तथा गुणवत्ता अधोसंरचना विकास परियोजनाओं का आधार बनेगी ।

अप्रकाशित/अप्रकाशन के लिए नहीं

25. मेरी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है तथा जलवायु परिवर्तन से लड़ने हेतु हर संभव उपाय करेगी । औद्योगिक विकास के साथ न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने करने हेतु प्रयास करेगी । कृषि वानिकी तथा नगरीय विकास को टिकाऊ विकास की दिशा देकर कार्बन न्यूट्रल व्यवस्था के श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कदम उठायेगी ।

26. मेरी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास का केन्द्र बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इन संस्थाओं की स्वायत्तता का संरक्षण हो तथा यह सुशासन का माध्यम भी बनें ।

27. मेरी सरकार महिलाओं के स्वावलंबन, सम्मान, और सुरक्षा से संबंधित विषयों के विभिन्न पहलुओं की क्रमवार समीक्षा करेगी तथा महिलाओं के अधिकार सम्मत समाधानों के लिए पहल करेगी ।

28 मेरी सरकार ने पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण हेतु विशेष कानून बनाने का वायदा किया है । इस दिशा में पहला कदम उठाते हुये पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की घोषणा कर दी गई है । इस कानून का प्रारूप बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी ।

29. मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तम कानून और व्यवस्था बनाए रखना है । जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जिलों में क्राइम ब्रांच तथा स्पेशल अनुसंधान सेल को भंग कर दिया है । पुलिस की कार्यप्रणाली में निरन्तर सुधार किए जाएंगे ।

30. मेरी सरकार एक ओर जहां प्रदेश में विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के सभी पहलुओं में सुधार की पहल करेगी । वहीं सुधार का लाभ सुसंगसत बिजली बिल के रूप में आम उपभोक्ताओं को देगी ।

31. हमारे लिए यह बड़े गर्व का विषय है, जब देश के विभिन्न हिस्सों में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनायें हो रही थीं, तब भी छत्तीसगढ़ साम्प्रदायिक सदभाव का द्वीप बना रहा । इसके पीछे एक वजह तो संत कबीरदास, महाप्रभु वल्लभाचार्य, बाबा गुरू घासीदास, स्वामी विवेकानन्द, माता राज मोहिनी देवी, रामेश्वर गहिरा गुरू, जैसे महान संतों का आर्शीवाद और प्रभाव रहा है । वहीं दूसरी वजह आम जनता तथा जनप्रतिनिधियों की आपसी समझ तथा समरसता रही है । मेरी सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ में साम्प्रदायिक सौहार्द तथा समरसता की इस विरासत को कायम रखने की होगी ।

32. मेरी सरकार नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए पीड़ित पक्षों से चर्चा करेगी । आदिवासी अंचलों में बुनियादी सुविधायें जुटाने, लंबित समस्याओं के निराकरण तथा स्थानीय जनता की सुविधा अनुरूप विकास तथा सुरक्षा का मार्ग अपनायेगी । स्थानीय आदिवासी लोगों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी तथा निर्दोष लोगों को राहत दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

33. मेरी सरकार जनसुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए नयी प्रौद्योगिकी-सम्मत उपायों को प्रोत्साहित करेगी ताकि सेवाओं और सुविधाओं की अदायगी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से हो सके तथा भ्रष्टाचार पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सकेगा ।

34 मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक का सशक्तीकरण, सबको गरिमा के साथ जीवन जीने की सुविधा, सबको न्याय तथा समान अवसर, किसानों, ग्रामीणों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, बच्चों, युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जैसे, समाज के सभी अंगों के कल्याण एवं विकास की नीतियॉ और योजनायें बनाने में, मेरी सरकार को आप सबका पूर्ण सहयोग मिलेगा । हम सबको मिलकर छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा डॉ. खूबचंद बघेल के सपनों को पूरा करना है । आप सब को पुन: नववर्ष की शुभकामनायें देती हूं॥ जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ । (मेजों की थपथपाहट)

(राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई)

मिश्रा\07-01-2019\a13\11.25-11.35

समय:

11.26 बजे **(माननीय राज्यपाल महोदया (श्रीमती आनंदीबेन मफतभाई पटेल) द्वारा प्रस्थान किया गया)**

समय:

11.30 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

<u>राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखा जाना</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सभा में जो अभिभाषण दिया गया है सचिव विधानसभा उसकी प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय:

11:31 बजे

<u>राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव</u>

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं दिनांक 9, 10, 11 जनवरी, 2019 की तिथि निर्धारित करता हूं। जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में अपना संशोधन देना चाहते हैं वे आज सोमवार, दिनांक 07 जनवरी, 2019 को सायं 5.00 बजे तक के लिए इस सचिवालय में जमा कर सकते हैं। कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संशोधन हेतु प्रपत्र आप सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

समय :

11:32 बजे

<u>अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि</u>

<u>श्री विवेक तनखा, राज्यसभा सदस्य</u>

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय श्री विवेक तनखा, राज्यसभा सदस्य अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से एवं सदन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृहस्पति सिंह :- भाभी जी का भी उल्लेख कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए माननीय मंत्रियों का सभा से परिचय करायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- यहां व्यवस्था का प्रश्न नहीं आयेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा द्वारा नोटीफिकेशन किया गया, विधानसभा के परिसर के नजदीक, मुख्यद्वार के नजदीक आकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां सरकार की धारा-144 लगी हुई है वहां आकर लोग बोर्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सरकार को ऐसे प्रदर्शनकारियों का संरक्षण प्राप्त है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, ये चिन्ताजनक है कि अगर विधानसभा परिसर के आस पास आकर लोग प्रदर्शन करें और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लें और सरकार उनको

अशोधित/असंपादित के लिए नहीं

रोकने में असक्षम है तो कल वे लोग विधानसभा के अंदर भी घुस सकते हैं। ये आपत्तिजनक है। जहां धारा-144 लगी हुई है वहां प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को विधानसभा के गेट में लाकर प्रदर्शन करवाया जा रहा है यह बहुत आपत्तिजनक है। धारा-144 लगी हुई है उसके बाद भी लोग वहां कैसे पहुंचे? कैसे वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? और उस पर अगर आप संरक्षण नहीं देंगे तो कल विधायकों को विधानसभा में आने से लोग रोक देंगे। हमारे अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा की शुरूआत हुई है। आज दूसरा दिन है, अगर दूसरे दिन ये स्थिति होती है, ये बहुत आपत्तिजनक है। आपको निर्देश देना चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो और जिनकी गलती से हुआ उनको प्रताड़ित किया जाना चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यहां की सुरक्षा को ठीक किया जाए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात को उठा रहे हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय यदि विधानसभा के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन हो, मुझे लगता है कि इसपर वक्तव्य आना चाहिए और आसंदी से निर्देशित भी होना चाहिए। कल कोई भी घटना घट सकती है। ये महान आपत्तिजनक है। राज्यपाल महोदय विधानसभा की आसंदी पर हैं, उन्हें विधानसभा के अंदर आना है और विधानसभा के बाहर जाना है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति पहली बार छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रही है। यदि सरकार में बैठे हुए लोग शांति व्यवस्था भंग करने में आमादा हों तो फिर भगवान मालिक है।

अध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रमेश

प्रमेश\07-01-2019\A14\11.35-11.40

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, वैसे व्यवस्था का प्रश्न आपने अनुमति दिया या नहीं दिया, ये आसंदी जाने, लेकिन माननीय सदस्यों ने कुछ बात उठाई। ये आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर विधानसभा सत्र है तो जहां तक 144 लागू है। ये प्रशासन की ड्यूटी है वहां इस प्रकार प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, पहली बात । और दूसरी बात, 15 साल तक.....।

श्री अजय चन्द्राकर :- हो रही है तो किसके संरक्षण से हो रही है। आप पता करवाइए, आप कौन सी परम्परा स्थापित करना चाहते हैं, आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, ये बताइए ....(व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, आप पहले इस्तीफा दीजिए।....(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी मेन गेट पर प्रदर्शन होते रहे हैं । इनकी सरकार उसको रोकने में नाकाम रही है, मेन गेट पर हमेशा प्रदर्शन होते रहे हैं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- पहले संसदीय कार्यमंत्री जी का जवाब सुन लीजिए । ....(व्यवधान) आप लोग बैठिए, प्लीज ।

श्री मोहन मरकाम :- ....(व्यवधान) अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व संसदीय कार्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट सुनिए । ....(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपको सत्ता पक्ष को समझाना होगा....।

अध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, मैं पहले सत्ता पक्ष का सुन तो लूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब संसदीय कार्यमंत्री बोल रहे हैं तो पक्ष के सदस्य खड़े होकर क्या विपक्ष को डराना चाहते हैं।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं, यहां कोई नहीं डरायेगा । ....(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- ऐसा क्या हो गया कि आप डर रहे हैं ।....(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके संरक्षण के लिए आग्रह कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी अपनी बात को कह रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग उनको कहने नहीं दे रहे हैं। अपने सदस्यों के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है । विपक्ष अपनी बात कहेगा और विपक्ष की बात को आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो। एक मिनट मैं बोल लूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, एक मिनट धर्मजीत भैया। किसके ऊपर किसका कितना नियंत्रण है, ये हम सबने देखा है। (मेजों की थपथपाहट) 10 के समर्थन वाले इधर बैठे हैं, नाम का प्रस्ताव करने वाले उधर। ये हमने देखा है। हमने देखा है इनको।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं।....(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट आपसे सिर्फ एक मिनट। सर मैं एक मिनट बोल लूं फिर आप बोल देते। मैं बहुत देर से अनुमति मांग रहा हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्वाईंट ऑफ आर्डर रेज़ किया है। हम लोग उसको दिखवा लेंगे। आप अपनी 15 साल पुरानी व्यवस्था को भूल गये। आपने नहीं देखा आप क्या करते थे। हम लोग भी प्वाईंट ऑफ आर्डर निकालते थे। अरे सुनिये बैठिए आप, अरे पंरपरा की बात कर रहे हैं बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक व्यवस्था पर बात कीजिए ।....(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- अभी मैंने अनुमति ली है, आप किसके अनुमति से खड़े हो गये, आप किसके अनुमति से खड़े हो गए। ये क्या तरीका है । संसदीय परंपरा की बात कर रहे हैं। आप बहुत संसदीय ज्ञाता हैं, मुझे मालूम है। आप संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं। सदन का नेता खड़े रहे तो कम से कम बैठना चाहिए।.....(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलने का मतलब आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आपसे संदर्भित है ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बिना अनुमति के मत बोलिए न ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इतनी बौखलाहट क्यों है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, बौखलाहट हमारे में नहीं है। बौखलाहट आप लोगों में है। अपने सरंक्षण में लोगों को ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, परम्परा की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं । सारी व्यवस्था और परम्परा के अनुरूप ही सदन चलेगा ।

जारी...श्रीमती सविता

सविता\07-01-2019\a15\11.40-11.45

.....जारी श्री भूपेश बघेल :- वह सारी व्यवस्था और परम्परा के अनुरूप ही सदन चलेगा, लेकिन आप यदि बोलने खड़े होते हैं कितने बार चुनकर आ गए हैं आसंदी से कम से कम अनुमति तो ले लेते, उसके बाद बोलते। वरिष्ठ लोग हैं आप नये लोगों को क्या सिखा रहे हैं ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है यदि कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं और यदि यहां हाऊस में नेता बोले कि उनको परम्परा की बात सिखाये, मुझे लगता है ये उचित नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- नेता प्रतिपक्ष जी, अभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ, अपनी बात खत्म नहीं किया हूँ, उसके पहले आप बोल रहे हो। पहले दिन ही ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस बात को बीच में रोक रहा हूँ। माननीय सदस्य बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। आपने उनको बैठा दिया और बैठाकर खड़े हो गए, ये कोई परम्परा नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) क्या संसदीय नियम प्रक्रिया है मैं बहस के लिए तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- हम करेंगे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- आप पहले अनुमति तो ले लेते। इतनी पीड़ा क्यों हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या नियम प्रक्रिया है ? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- इतनी तकलीफ क्यों है ? (व्यवधान) दु:ख है वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पहले दिन ही बौखलाहट....।

श्री अमरजीत भगत :- इतने उत्तेजीत क्यों हो रहे हैं सब लोगों को बोलने का मौका मिलता है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं। सदन के नेता खड़े हुए हैं और आप लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कोई सीख देने के लिए (व्यवधान) हम अपनी ताकत से निर्वाचित होकर आते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सदन के नेता खड़े हैं उनको तो बोलने दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको बोलवाईये, फिर उनको बोलने के लिए बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे उपदेश सुनने के लिए चुनकर नहीं आए हैं। क्या आप कार्रवाई करेंगे, ये बता सकते हैं तो बताईये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बता रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उपदेश ही सुनना है तो प्रक्रिया की... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, मैं व्यवस्था दूंगा। सदन के नेता खड़े हैं पहले उनकी सुन लीजिए। फिर मैं आपकी सुनता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता हम सबकी बात सुनकर अपना वक्तव्य देंगे। आप दो मिनट हमको भी अनुमति दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात कह लें, उसके बाद आप दे देंगे। क्या दिक्कत है ?

श्री भूपेश बघेल :- चलिए बोलिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परम्परा रही है कि जहां तक धारा 144 लागू है चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके अंदर नहीं आ सकता। आज उस नियम का उल्लंघन हुआ। माननीय सदस्य ने कहा इसमें तो ये बहुत गंभीर मसला है इस संपूर्ण मामले की जांच कराईये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए जांच कराईये, क्योंकि हमने परसों ही कहा था कि सदन 68 के बहुमत पर है वे शक्तिशाली लोग हैं, इनके समर्थक भी बाहर शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं मतलब

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक प्रकार से यहां बैठे हुए सदस्यों में भय व्याप्त करने की कोशिश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घटना भविष्य में न घटित हो, इसलिए इस घटना की जांच कराईये और इसमें कार्यवाही कराईये। जब सदन के नेता और इधर प्रतिपक्ष के लोग बोल रहे हैं तो इनको ये उंगली दिखा-दिखा कर जो बॉडी लैंग्वेज है, वह भी ठीक नहीं है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया ? कितना खराब किया ? उसकी बात तो आप छोड़िए। आप को नया जनादेश मिला है अगर इनकी ही नकल करना है तो फिर नये जनादेश का मतलब क्या हुआ ? आपको तो ये व्यवस्था और सुदृढ़ करना चाहिए, सुधारना चाहिए और यहां पर भयमुक्त वातावरण में चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। माननीय नेता जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसी के खिलाफ विधान सभा परिसर के आसपास प्रदर्शन उचित नहीं है, इसकी हम निन्दा करते हैं और इसकी आप जांच कराकर कार्रवाई भी करिये।

अध्यक्ष महोदय :- सदन के नेता जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी वहां प्रदर्शन कर रहे थे, सबको हटा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपने मंत्रि-मण्डल के सदस्यों का सभा से परिचय कराता हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हटा दिया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई और सूचना सदन में क्या हो सकता है ? (व्यवधान) ....।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। सुनिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो।

(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई ?

अध्यक्ष महोदय:- सुनिए। आपकी व्यवस्था के प्रश्न पर मेरा ये आपसे कहना है कि सुरक्षा अधिकारी से मैं प्रतिवेदन बुलाऊंगा और उस पर आवश्यक निर्देश भी दूंगा। आप शांति से बैठे।

अब माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रि-मण्डल में शामिल किये गये माननीय मंत्रियों का सभा से परिचय कराएंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय:

11:44 बजे **<u>मंत्रियों का परिचय</u>**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों का सभा से परिचय कराता हूँ।

1. **श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, मंत्री** - पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग। (मेजों की थपथपाहट)
2. **श्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री** - लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग।(मेजों की थपथपाहट)
3. **श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री** - संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप मछली खाते हो या नहीं ये बताईये?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वरियता क्रम में आप तीसरे नंबर पर हो, सबसे वरिष्ठ निर्वाचित हैं।

श्री चौधरी

चौधरी\07-01-2019\a16\11.45-11.50

श्री रविन्द्र चौबे :- ऐसा है डॉक्टर साहब ने मछली पालन विभाग आपको भी दिया था, आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आप मछली खाते हैं या नहीं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह विभाग मुझे सौंपा हुआ है, अब समझ लो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, और ब्राम्हण देवता और अग्रवाल के चक्कर में हम मछली से वंचित हो रहे हैं। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :-

04. **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री** - स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, सहकारिता विभाग।

05. **श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री** - परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

06. **श्री कवासी लखमा, मंत्री** - वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्य एवं उद्योग विभाग।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

07. **डॉ. शिवकुमार डहरिया, मंत्री** - नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम विभाग।

08. **श्रीमती अनिला भेंडिया, मंत्री** - महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग।

09. **श्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री** - राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) विभाग।

10. **श्री गुरू रूद्र कुमार, मंत्री** - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग विभाग।

11. **श्री उमेश पटेल, मंत्री** - उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग।

समय :

11.46 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन</u>

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन। माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी, 2019 की तिथि निर्धारित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी, 2019 को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित।

(पूर्वान्ह 11 बजकर 47 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 08 जनवरी, 2019 (पौष 18, शक संवत 1940) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 07 जनवरी, 2019

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं